कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)राजपुर जिला बड़वानी (म.प.)

क्रमांक/418/स्टेनो/2023 निवाचन 30/01/23

//प्रेस विज्ञप्ति //

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित ठीकरी /दवाना /तलवाड़ा डेब/ मंडवाडा/रणगावडेब /बरुफाटक एवं ब्राहमंणगाव की शासकीय उचित मूल्य दुकानों - अभाली ,घटवा, कालापानी ,हतौला ,मेहगाव डेब, मोहिपुरा ,बजट्टा, टेमला ,मंदरानिया, चिचली,के संचालन मे संस्था प्रबंधको द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी है एवं शासन के पत्र क्रमांक 906/207 दिनांक 29/3/2022 के द्वारा सार्वजानिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 9(1) एवं 9(2) में प्राप्त निर्देशानुसार महिला स्व सहायता समूहों को उचित मूल्य दुकान आवंटन के निर्देश प्राप्त हुए है |

उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों से संलग्न उपभोक्ताओ के हितो को ध्यान में रखते हुए वितरण व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करवाने हेतु पात्र संस्थाओ को आवंटित किये जाने के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते है -

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी -

1 पात्र संस्था विभागीय वेबसाइट https :// rationmitra.nic.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करे |

2 आवेदन करने हेतु पात्र संस्थाए - आदिम जाति सेवा सहकारी समिति /विपणन सोसायटी /उत्पाद सोसाइटी /संसाधन सोसायटी/महिला स्व सहायता समूह /बहुउद्देशीय सोसाइटी एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का शासकीय विभाग से एक वर्ष पूर्व से पंजीयन होना अनिवार्य है |

3 आवेदन करने वाली संस्था का कार्यक्षेत्र उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत होना अनिवार्य है

4 आवेदन करने वाली संस्था वर्तमान में कार्यशील होना अनिवार्य है एवं विगत एक वर्ष की आडिट रिपोर्ट अनिवार्य संलग्न करे एवं संस्था के बैंक खाते में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए दो माह के आवंटन का उठाव करने हेतु अंशपूंजी जमा होना चाहिए |

5 संस्था का सदस्य जिसे विक्रेता नियुक्त किया जायेगा उसकी शेक्षणिक योग्यता 10 वी पास अनिवार्य है |(महिला स्व सहायता समूह की विक्रेता महिला ही होगी)

6 संस्था को दुकान संचालन हेतु गोदाम ,तोलकाटा ,केरोसिन ड्रम ,आवस्यक बोर्ड एवं दुकान आवंटन अधिकारी के अनुसार प्रदत्त अन्य सुविधाए स्वयं करनी होगी |

7 आवंटिती संस्था को राशन का वितरण पिओएस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा ऑनलाइन करना बंधनकारी होगा |

8 शेष दस्तावेज उपरोक्त पोर्टल के अनुसार ऑनलाइन करना अनिवार्य है |

9 अंतिम तारीख एवं अन्य निर्देशों में वृद्धि/कमी करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास रहेगा

अतः उपरोक्तानुसार पात्र संस्थाए अंतिम तिथि दिनांक 15/02/2023 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती है |

अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) राजपुर

क्रमाक / 419 /खाद्य /2023 राजपुर दिनांक 30/01/23

प्रतिलिपि -

1 कलेक्टर महोदय जिला बड़वानी |

2 जिला आपूर्ति अधिकारी जिला बड़वानी की और सूचनार्थ |

3 सहायक आयुक्त सहकारिता जिला बड़वानी की ओर सूचनार्थ ।

4 जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला बड़वानी की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।

5 तहसीलदार ठीकरी /अंजड की ओर कार्यालयीन सुचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु ।

6 संस्था प्रबंधक आ.जा .से. सह. समिति ------------------सुचना पटल पर चस्पा करने हेतु ।

7 सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत की ओर ग्राम में सुचना एवं पंचायत भवन पर चस्पा करने हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी

(राजस्व) राजपुर